

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांक 256 / दो-11-8 / 2005

हरदा दिनांक 31 / 07 / 2025

इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी प्रवर्ग के कर्मचारीगण को पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 30.07.2025 में की गई अनुशंसा एवं वरीयता-सह उपयुक्तता के आधार पर सहायक ग्रेड-3 के रिक्त दो पदों, आदेशिका वाहक के रिक्त दो पदों पर तथा जमादार के रिक्त दो पदों पर वरीयता सह योग्यता के आधार पर वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत वेतनमान क्रमशः लेवल-4 (19500-62000), लेवल-3 (18000-56900) एवं लेवल-2 (16100-50900) पर, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परीक्षा पर पूर्णतः अस्थाई रूप से पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद एवं वेतनमान	पदोन्नत पद एवं वेतनमान
01.	श्री नर्मदाप्रसाद राठौर	आदेशिका वाहक लेवल-3(18000-56900)	सहायक ग्रेड-3 लेवल-4(19500-62000)
02.	श्री संजीव रोहर	आदेशिका वाहक लेवल-3 (18000-56900)	सहायक ग्रेड-3 लेवल-4 (19500-62000)
03.	श्री रामशंकर मर्सकोले	जमादार लेवल-2 (16100-50900)	आदेशिका वाहक लेवल-3 (18000-56900)
04.	श्री जुआरीलाल मोराने	जमादार लेवल-2 (16100-50900)	आदेशिका वाहक लेवल-3 (18000-56900)
05.	श्री चंदनसिंह मीणा	भृत्य लेवल-2 (16100-50900)	जमादार लेवल-2 (16100-50900)
06.	विनोद युवने	भृत्य लेवल-1 (15500-49000)	जमादार, लेवल-2 (16100-50900)

शर्तें :- तालिका में वर्णित श्री नर्मदाप्रसाद राठौर एवं श्री संजीव रोहर को निर्देशित किया जाता है कि उनकी पदोन्नति सहायक ग्रेड-3 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर सीपीसीटी उत्तीर्ण स्कोर कार्ड एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा प्रस्तुत करेंगे।

(तृप्ति शर्मा) 31/7/2025

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

हरदा दिनांक 31 / 07 / 2025

पृ0 क्रमांक 1237 / दो-11-8 / 2005

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. जिला कोषालय अधिकारी, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संबंधित कर्मचारी श्री..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
5. कार्यालय लेखापाल/देयक लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(तृप्ति शर्मा) 31/7/2025
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)